

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 116/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

बालचन्द पिता मानशंकर शर्मा निवासी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं
आमली तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर
जिला भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 31.01.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाडा के विरुद्ध दिनांक 24.12.2018 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं० 40 एफ 933381 राशि 10.00 रु० के साथ एक आवेदन दिनांक 22.10.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.10.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 28.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सहाडा द्वारा पत्रांक/रीडर/सू.अधि./2019/6 दिनांक 14.01.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 22.10.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार सहाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत अपीलार्थी के आवेदन पत्र में अंकित सूचना देय नहीं है। इस हेतु अपीलार्थी को पत्रांक/रीडर/आरटीआई/18/108 दिनांक 20.11.2018 से सूचना अपीलार्थी को दी गयी। अपीलार्थी ने दिनांक 26.11.2018 को सूचना प्राप्त करली जिसकी रसीद अंकित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध होने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



21/01/2019
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेंट अधिकारी
भीलवाडा